रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1609] नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2017/ज्येष्ठ 17, 1939
No. 1609] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2017/JYAISTHA 17, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2017

का.आ. 1816(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 3497(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 22 दिसम्बर, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में किन्हीं व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, नांगखाइलम आरक्षित वन का गठन बहुतायत वन्यजीव और उपयुक्त आवास गुणता के कारण पूर्व ब्रिटिश सत्ता के दौरान असम सरकार राजपत्र अधिसूचना सं. (क) 4692, तारीख 23 जुलाई,1909, (ख) 2016 तारीख 12 मई 1913, (ग) 2017 आर, तारीख 12 मई, 1913, (घ) 3463 आर, तारीख 14 जुलाई 1913, (ड.) 3412 आर, तारीख 14 नवंबर 1933 (च) 864 जी.जे. तारीख 14 फरवरी, 1939 प्रक्रमों में किया गया था, वर्ष 1981 में 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के नांगखाइलम आरक्षित के पूर्वी भाग को वन्यजीव को अभयारण्य में संपरिवर्तित किया गया और आरक्षित वन का शेष भाग गहन संरक्षण और रक्षण उपायों के अधीन था और इस कारण ये वन अपने प्राचीन मूल्य प्रतिधारित किए हुए हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ियों और घाटियों की बहुतायत है जिनमें से कई जलधाराएं बहती हैं जो उमट्रयू, उमतसोर और उमसा नदियों में मिलती हैं जो इस क्षेत्र के चारों और हैं। इस क्षेत्र की ऊंचाई 200 मीटर से 800 मीटर के बीच है माकींदाह सबसे ऊंचा बिंदु है जिसकी ऊंचाई 965 मीटर है।खड़ी ढाल वाले पहाड़ी ढाल प्रचुर मात्रा में नहीं हैं और उमट्रयू एवं उमतसोर नदियों के किनारे कुछ भागों में ही दिखाई पड़ते हैं;

और, अभयारण्य तथा आरक्षित वन पूर्वी हिमालयी स्थानिक पक्षी क्षेत्र (कॉलर और अन्य आदि) के अंतर्गत वैश्विक जैव-विविधता मुख्य स्थल के रूप में वर्गीकृत (पूर्वोत्तर भारत) क्षेत्र में आते हैं और यह क्षेत्र वनस्पतिजात और प्राणि-जात संपदा से समृद्ध है । नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य, नांगखाइलम के उत्तरी भाग में एक उष्ण कटिबंधीय मिश्रित सदाबहार वन है यहां की वनस्पति अधिकांशत: आर्द्र पर्णपाती वन है दक्षिणी भाग की ओर पर्णपाती घटक कुछ उप-उष्ण कटिबंधीय और कुछ शीतोष्ण सहित सदाबहार प्रजातियों के अधिक प्रतिशत के साथ धीरे-धीरे कम होते जाते हैं, कुल मिलाकर, सामान्य जंगली वनस्पति बांस वनों और घास वाले ढालों के साथ मिलकर सदृश रूप में दिखाई पड़ते हैं और ऊंचाई के साथ बदलती वनस्पति तीन मंजिला आकार में दिखाई देती है जहां फैले हुए शीर्षों तथा लंबे ठूंठों वाले विशाल वृक्ष शीर्ष छतरी के रूप में दिखाई देते हैं जो अधिपादपों की उप-जातियों के लिए आश्रय-स्थल के रूप में कार्य करते हैं; परन्तु, साल इस क्षेत्र की प्रमुख वृक्ष प्रजाति है।

और, इस क्षेत्र में स्तनधारियों की 50 से अधिक प्रजातियों तथा सरीसृपों की 25 प्रजातियों को आश्रय मिलता है, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की अनुसूची-I में सूचीबद्ध स्तनधारियों की 140 प्रजातियों में से लगभग 30 प्रजातियां यहां पाई जाती हैं, लमचित्ता, तेंदुआ, हुलांक उतक, हाथी, गौर, बिंटुरांग और ग्रेट इंडियन धनेश विशिष्ट प्रजातियां हैं: इस क्षेत्र में और इसके आस-पास कई जलाशयों और नदियां, हिल महसीर, चॉकलेट महसीर जैसी संकटापन्न मत्स्य प्रजातियों और खासी हिल्स वाटर मेंढक और वाटर मॉनीटर छिपकली जैसे सरीसृप जो अब बहुत दुर्लभ हो गए हैं, हेतु अच्छे प्रजनन स्थल हैं;

और, 200 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र में 400 से अधिक पक्षी प्रजातियों सहित नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य तथा नांगखाइलम आरक्षित वन और उमियम जलाशय सहित उसके निकटवर्ती क्षेत्र संरक्षण और जैव-विविधता की दृष्टि से नि:संदेह महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और पर्यावास की कमी तथा अवैध शिकार के कारण रूफाउस नेक्ड हॉर्नबिल जैसी संकटापन्न प्रजातियां अत्यधिक दुर्लभ हो गई है;

और, मेघालय में कुछ प्रजातियां पहली बार अभिलेखित की गई हैं ये प्रजातियां हैं - ग्रेट क्रस्टेड ग्रेब, ब्लैक नेक्ड ग्रेब, रेड नेक्ड ग्रेब, इंडियन शाग, छोटा हरा बगुला, टाइगर ऑफ मलय बिटर्न, ग्रेटर एंडजुटेंट स्टॉर्क और ब्लैक हेडेड गल। सर्वेक्षण एवं अभी हाल ही में गुजरे समय में डार्टर, डार्डेन्स या ब्लिथ्स बाजा, पेंटेड स्टॉर्क, लेस्सर या हिमालयन ग्रे-हेडेड फिश ईगल, ब्लैक अथवा किंग गिद्ध, लांग-बिल्ड गिद्ध, सफेद गर्दन वाला गिद्ध, सफेद टांग वाला फाल्कोनेट, सफेद गालों वाला पहाड़ी तीतर, वुड स्नाइप, टॉनी फिश आउल, ब्लिथ्स किंगफिशर, रफस नेक्ड धनेश, स्पैंग्लेड ड्रांगो, चित्तीदार पंखों वाला स्टेयर और ग्रे-सिबिया जैसी संकटग्रस्त और संकट की आशंका वाली प्रजातियों को भी अभिलिखित किया गया है;

और, इससे संबद्ध अन्य वृक्ष प्रजातियां हैं मेसुआफेरी, लेगरस्ट्रोमियापरवीफोरा, चीमावालिची, एक्रोकॉर्पसफ्रैक्सीनीफोलियस, एल्स्टोनियास्कॉलरिस, बॉम्बेक्ससीबा, आर्टोकॉर्पसचैपलाशा, बिसकोफियाजावानिका, केस्टोनोपिसिसहिस्ट्रीक्स, सी.इंडिका सी.ट्रिबुलोयडस, सिनामोम्मतमाला, एलियोकॉर्पसफ्लोरिबंडस, लैनियाकोरोमंडेलिका, गरूगापिन्नाटा, एंथोसीफेलसकडांबा, टेट्रामेलसनुडीफ्लोरा, तूनासिलियाटा, सिजीजियम एसपीपी., कल्लीकर्पाअरबोरिया, केरेयाअरबोरिया, एंबलिकाआँफिसिनालिस, जमेलिनाअरबोरिया, जिनोकार्डियाओडोराटा, मलोटसफिलीपेनिस, सेपियम एसपीपी., एलिपिनियामलाकसेन्सिस, होल्लारहेनाएंटीडीसेंट्रिका, अमोममएसपीपी, कोलोकेसियाइस्कुलेंटा, कोस्टसस्पेशियोसस, ग्लोब्बामल्टीफ्लोरा, ओक्सेलिसकोर्नीकुलाटा, फ्रेगमाइट्सकर्का, जिंजिबरजेरूबेट, जेड.केपीटाटम, जेड.कासुनुनेन, साइप्रसएसपीपी. इत्यादि; अब्रोमाअगस्ता, एलोफिलसकोब्बे, एंटीडेसमाएक्यूमिनाटम, एपोरोसाबॉक्सबुरघी, बोकमेरियाप्लेटिफिवला, केजेरियावेरेका, क्लीरोडेंट्रमब्रेक्टीटम, क्रोटोनकाउडाटस, यूर्याएक्यूमिनाटा, ग्लॉयकोसमिसमौरीटियाना, होल्मस्कोडियासेंगुनिया, इटयामेक्रोफिवला, इक्ज़ोराएक्यूमिनाटा, लियाएस्पेरावर्थी, माओतियापुया, मुसेण्डामेक्रीफिवला, एम. रेक्सबुरघिल, पवेटाइंडिका इत्यादि; सामान्य विशाल वन बहुत झाड़ियां हैं; एचीरेंथिसएस्पेरा, अमरान्थसस्पिनॉसस, सेलोसियाअर्जेंटिका, क्याथुलाप्रोसट्राटा, एकीनोक्लिोवाहिरता,

कॉम्फोस्टेम्मापर्वीफ्लोरम, आर्थोंसिफेनइन्करवस, फिलन्थराडेबीलिस, होट्टीनियाकोरडाटा इत्यादि सामान्य औषधीय वनस्पतियां हैं; अरून्डीनीरियाबेंगालेन्सिस, ए. नेपलैंसिस, सेंटेहक्कालेपेसिया, डिजीटारियासेन्डेंस, एचीनेक्लियाक्रसपावेनिस, इचान्थसविसिनस, लेप्थाथेरमग्रेसाइल, आँप्लिस्मेनसकम्पोसिटस, पेनीकमब्रेवीफीलीयम, पी. पलुडेसम, पी. फ्लेवीडनलियान और बुटीपर्वीफ्लोरा, डेरिसएलिप्टका, एन्टाडापुरसियाथा, मिलेटियासिनेरिया, एम. पेचीकरपा लताएं हैं ; और मुकुनामेक्रोकार्पा, एस्पीडेपटेरिसएलेप्टिका, ब्टनीरियाग्रेडफोलिया, काम्ब्रेटमपंचटेटम, डलहडूसियाब्रेकटीटा, आयोडसहेयोकेरीयाना, नटसियाटमहरपीटीकम और रोयडसियासुआवेगेलेंस सामान्य झाड़ीदार वल्लरियां हैं और अनकेरियापिलोसा और यू. सेसलीफ्रक्टस सघन वन में विशाल झाड़ियों पर फैलने वाली दो कमज़ोर लताएं हैं ;

और, नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

और, यह रेखाएं आवश्यक हो जाती हैं कि नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर कुछ क्षेत्रों को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में देखा जाए और उद्योगों, संचालन या प्रक्रियाओं या उद्योगों के वर्गों, परिचालन या प्रक्रियाओं को पारिस्थितिक संवेदी जोन में रोक दिया जाएगा।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेघालय राज्य में नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 335.07 मीटर से 8.43 किलोमीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 335.07 मीटर से 8.43 किलोमीटर तक भिन्न-भिन्न है और पारिस्थितिक संवेदी जोन का कुल क्षेत्र 202.87 वर्ग किलोमीटर है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू- निर्देशांक और वन्यजीव अभयारण्य **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोने के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागवानी;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन सहित पारिस्थितिक पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका और शहरी विकास;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों, पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न किया जाए और उक्त आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का सुधार करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का मुख्य वाणिज्यक या मुख्य आवासिक काम्पेल्कस या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, इसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए निगरानी समिति की सिफारिश पर और सुसंगत राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के ऐसी अन्य नियमों और विनियमों के अधीन जो लागू हो, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के

उपबंधो द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह और कि सुंसगत राज्य विधियों और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपदर्शित, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) वनीकरण और प्राकृतिक वास सम्बधी क्रियाकलापों को पुन:स्थापित करने के लिए और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलांतरालो की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी ।

(3) **पर्यटन /पारिस्थितिक-पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन सम्बधी क्रियाकलापो का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगा ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, किसी नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट, का संन्निमार्ण अनुज्ञात नहीं होगा और वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए होटलो और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार केवल पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित और अभिचिन्हित क्षेत्रो में ही अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार,

पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए योजना आंचलिक महायोजना के भाग रूप विरासत संरक्षण योजना बनाई जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी आंचलिक महायोजना का भाग रूप होगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण का ध्वनि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के अनुसार किया जाएगा ;

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस विधियों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम), विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप पहचान प्रौद्योगिकियों को उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि. 343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस विधियों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम), विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप पहचान प्रौद्योगिकियों को उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को निगरानी करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो। इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(18) अगर यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपाबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अंतर्गत तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), अधिसूचना 2011 भी है और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधो और उसके किए गए संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणियां
	क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की देशी आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या

		मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा ।
2.	(जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो।
3.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
11.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
12.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे: परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी ।

		(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण; (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो गृह वास; और (v) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
15.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा।
18.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
20.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
23.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

24.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में प्रवेश करने के लिए अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव उपचारित उत्सर्जन रोकेगा पुन:चक्रण और अपशिष्ट जल उपचारित पुन: उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे अन्यथा अपशिष्ट जल/ बहिर्स्राव उत्सर्जन लागू विधि के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
25.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
27.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
31.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. **निगरानी समिति-** केंद्रीय सरकार के द्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपाबंधों की प्रभावी निगरानी तीन वर्ष की अवधि के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

(क) वन संरक्षक (प्रादेशिक और वन्यजीव), मेघालय सरकार -अध्यक्ष;

(ख) मुख्य वन अधिकारी, खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद -सदस्य;

(ग) राजस्व विभाग, री-भोई जिला नोंगपोह का एक प्रतिनिधि -सदस्य;

(घ) पर्यावरण (जिसके अन्तर्गत विरासत संरक्षण है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का मेघालय सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित एक प्रतिनिधि -सदस्य;

(ङ) परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में मेघालय सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित एक विशेषज्ञ -सदस्य;

(च) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य -सदस्य;

(छ) प्रभागीय वन अधिकारी, खासी हिल्स वन्यजीव प्रभाग, शिलांग -सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन.- (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबद्ध उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/24/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण

पूर्व - इसकी सीमा पूर्वोत्तर (25.964690 अक्षांश और 91.857807 देशांतर) (मानचित्र में बिंदु-2) में उमलिंग टेरिटोरियल बीट आँफिस से शुरू होती है और दक्षिणावर्त जाती है, यह क्षेत्र पूर्व में शिलांग-गुवाहाटी राजमार्ग जो शांग बांगला, पाहामृहोह, नांगपोह और पहामसाइम तक जाता है, से घिरा हुआ है । यह रेड नांगपोह के सामुदायिक वन के साथ-साथ लगभग 19 किलोमीटर अमतासोर सामुदायिक वन (25.811974 अक्षांश और 91.823244 देशांतर पर मानचित्र में बिंदु-3) तक जाता है ।

दक्षिण - यह सीमा बिंदु-3 से लगातार जारी रहकर नांगबीर गांव, नांगस्डर गांव, सोहजीरंग गांव की भूमि और निजी भूमि (मानचित्र में बिंदु-4) 25.820473 अक्षांश और 91.732014 देशांतर पर लगभग 13 किलोमीटर नांगमहिर और मापीरहट के साथ-साथ दक्षिणावर्त जाती है।

पश्चिम - यह सीमा बिंदु-4 से जारी रहती है और उम्मार, नांगकिनरिह से लैलाड-तास्कू (मानचित्र में बिंदु-1-25.951830 अक्षांश और 91.758509 देशांतर) तक 15 किलोमीटर (लगभग) की दूरी तक जाती है।

उत्तर - लैलाडगांव (मानचित्र मे बिंदु-1- 25.951830 अक्षांश और 91.758509 देशांतर) से जिला परिषद वृक्षारोपण की सीमा, उमलाडोह गांव तक बनती है। यहां से लैलाड उमलिंग वन मार्ग की सीमा उमलिंग टेरिटोरियल बीट आफिस (बिंदु-2 पर 25.964690 अक्षांश और 91.857807 देशांतर) तक आती है। प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा और भू-उपयोग पैटर्न दर्शाने वाला मानचित्र संलग्न है।

उपाबंध II

नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य, मेघालय के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र और इसके साथ-साथ अक्षांश और देशांतर सीमा का वर्णन

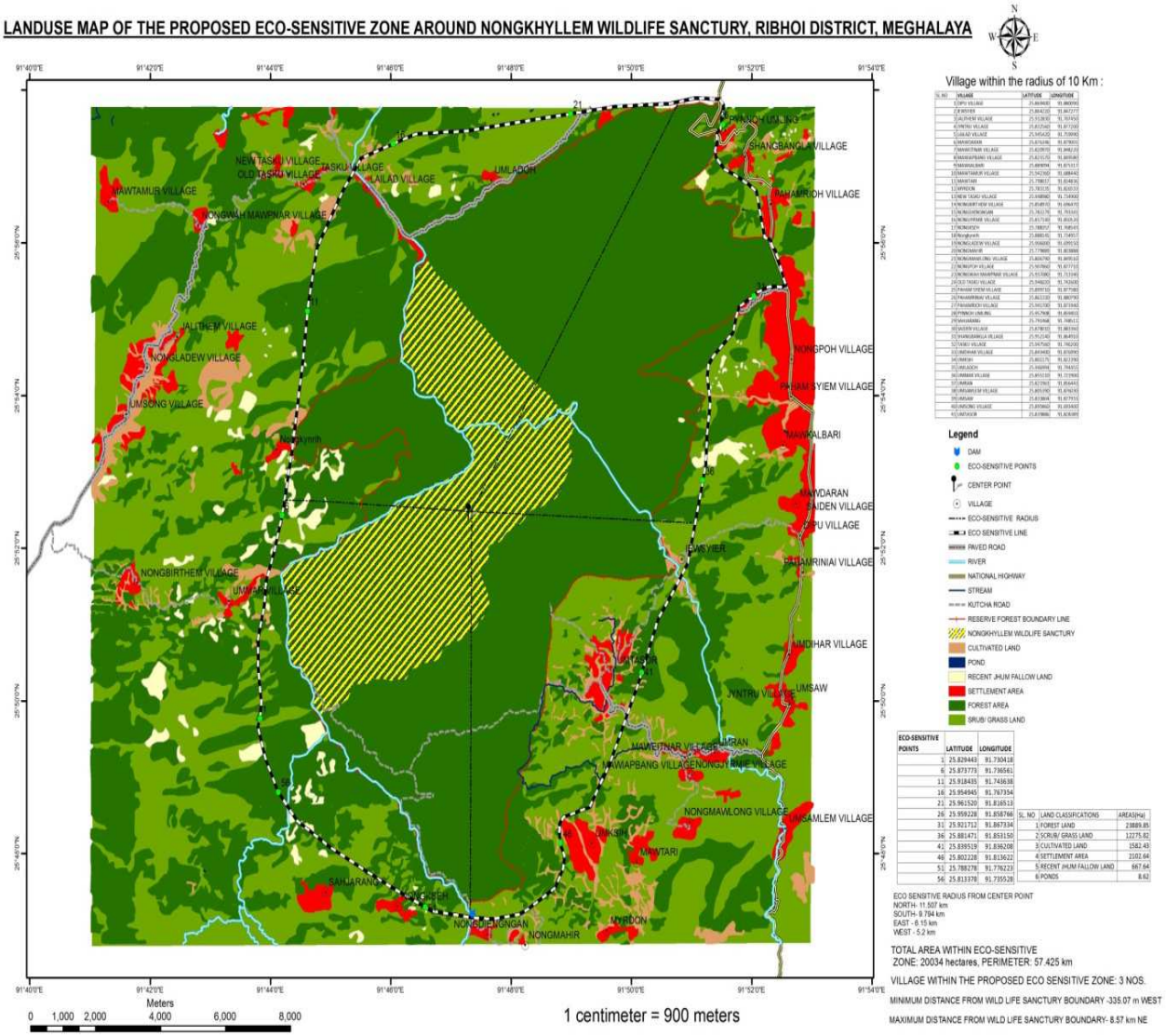

भू-निर्देशांकों की सूची

नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण के भू-निर्देशांकों की सूची

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	25⁰ 50’24.1”	91⁰ 44’32.0”
2.	25⁰ 52’26.3”	91⁰ 45’53.0”
3.	25⁰ 54’27.7”	91⁰ 46’10.7”
4.	25⁰ 55’56.3”	91⁰ 46’32.0”
5.	25⁰ 53’57.8”	91⁰ 49’08.8”
6.	25⁰ 52’23.0”	91⁰ 49’15.8”
7.	25⁰ 52’07.0”	91⁰ 49’57.7”
8.	25⁰ 50’46.8”	91⁰ 47’27.1”
9.	25⁰ 50’18.4”	91⁰ 45’24.5”
10.	25⁰ 50’28.0”	91⁰ 44’41.2”

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू- निर्देशांकों की सूची

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	25⁰ 49’45.9”	91⁰ 43’49.5”
2.	25⁰ 52’25.5”	91⁰ 44’11.6”
3.	25⁰ 55’06.3”	91⁰ 44’37.0”
4.	25⁰ 57’17.8”	91⁰ 46’02.4”
5.	25⁰ 57’41.4”	91⁰ 48’59.4”
6.	25⁰ 57’33.2”	91⁰ 51’31.5”
7.	25⁰ 55’18.1”	91⁰ 52’02.4”
8.	25⁰ 52’53.2”	91⁰ 51’11.3”
9.	25⁰ 50’22.2”	91⁰ 50’10.3”
10.	25⁰ 48’08.0”	91⁰ 48’49.0”
11.	25⁰ 47’17.8”	91⁰ 46’34.4”
12.	25⁰ 48’48.1”	91⁰ 44’07.9”

उपाबंध III

नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण, मेघालय के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
1.	नोंगवाह मवपनार गांव	25.937080	91.713340
2.	दीपू गांव	25.869400	91.880090
3.	जलितहेम गांव	25.912830	91.707450

4.	जंतरु गांव	25.832560	91.877200
5.	लेलाड गांव	25.945420	91.759990
6.	मवडरन गांव	25.876346	91.879001
7.	मेवितनार गांव	25.820970	91.848220
8.	मविअपबंग गांव	25.821570	91.849580
9.	मवकलबारी	25.889094	91.875317
10.	मवतामूर गांव	25.942360	91.688440
11.	मवतारी	25.798017	91.834836
12.	मिरडाँन	25.783135	91.826533
13.	न्यू टास्कू गांव	25.948980	91.734900
14.	नोंगबीर	25.779889	91.803888
15.	नांगबिर्थेम गांव	25.858970	91.696470
16.	नौंगियारमिफ गांव	25.817140	91.850120
17.	नोंगलाडिव गांव	25.906000	91.699150
18.	नोगमालोंग गांव	25.806790	91.849510
19.	नोंगपोह गांव	25.907860	91.877710
20.	नोंगसडर	25.779802	91.774080
21.	नोंगिनरिह्	25.888145	91.734957
22.	ओल्ड टास्कू गांव	25.946020	91.742600
23.	फहम सियम गांव	25.899710	91.877580
24.	फहमरिनियल गांव	25.861330	91.880790
25.	फहमिरयोह् गांव	25.941700	91.871940
26.	सैडेन गांव	25.878010	91.883360
27.	सजरंग	25.791468	91.748511
28.	शंगबंगला गांव	25.952140	91.864910
29.	टास्कू गांव	25.947560	91.746200
30.	उमधिहार गांव	25.843400	91.876990
31.	उमलिंग गांव	25.957908	91.859403
32.	उम्मर गांव	25.855110	91.721900
33.	उमरन	25.821963	91.856443
34.	उमसमलेम गांव	25.805390	91.876030
35.	उमसा	25.833804	91.877933
36.	उमसोंग गांव	25.895860	91.693400
37.	उमतसोर	25.839886	91.828389
38.	उमलादोह्	25.946994	91.794455

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2017

S.O. 1816(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3497 (E), dated 22nd December, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette were made available to the public on the 22nd December, 2015;

And Whereas, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

And Whereas, the Nongkhyllem Reserved Forest was constituted in stages during the regime of the erstwhile British Government *vide* Government of Assam Gazette Notification Nos.- (a)4692,dated23rd July, 1909 (b)2016,datedthe 12th May,1913 (c)2017R,dated the 12th May, 1913 (d)3463R,dated the 14th July, 1913, (e)3412R,dated the 14th November, 1933 and (f)864-GJ,dated the 14th February, 1939;due to abundance of wildlife and good habitat qualities, the eastern part of Nongkhyllem Reserve of 29 square kilometer area was converted to a Wildlife Sanctuary in 1981 and the remaining part of the Reserve Forests was subjected to intensive protection and conservation measures and it is due to this, that these forests have retained their pristine value. The area comprises fully of hills and valleys, along which, flow numerous streams that join the rivers such as Umtrew, Umtasor and Umsaw which surround the area. The altitude of the area ranges from 200 meters to 800 meters and the highest point is Mawkyndah with an altitude of 965 meters. Steep hill slopes are not common and occur only along certain portions of the banks of Umtrew and Umtasor rivers.

And Whereas, the Sanctuary and the Reserve Forests fall in the (North Eastern India) region classified as a global bio-diversity hot spot under the Eastern Himalayan Endemic Bird Area and this area is rich in floral and faunal biodiversity. The Nongkhyllem Wildlife Sanctuary is tropical mixed evergreen forests, in the northern portion of Nongkhyllem, the vegetation is mostly moist deciduous type of Forest, towards the southern portion the deciduous components decrease gradually with more percentage of evergreen species including some sub-tropical and some temperate; as a whole, the general woody vegetation presents a homogenous appearance mixed with bamboo forests and grassy slopes and the vegetation changes with altitude presenting a three-storey appearance where large trees with spreading crowns and tall boles forming the top canopy which act as shelter for varieties of epiphytes. Sal is the dominant tree species in the area; however a large number of tree species are found.

And Whereas, the area harbours over 50 species of mammals and 25 species of reptiles; of 140 species of mammals listed in Schedule-I to the Wildlife (Protection) Act, 1972, (53 of 1972) about 30 species are found here, notable species being the Clouded Leopard, Leopard, Hoolock gibbon, Elephant, Gaur, Binturong and Great Indian Hornbill; many water bodies and streams in and around the area are good breeding sites for endangered species of fish such as the Hill Mahseer, Chocolate Mahseer and reptiles such as the Khasi Hills Water Tortoise and the Water monitor lizard, which have become very rare.

And Whereas, With more than 400 species of birds in less than 200 square kilometre area, Nongkhyllem Wildlife Sanctuary and adjacent areas including the Nongkhyllem Reserved Forest and Umiam reservoir and undoubtedly important areas from conservation and bio-diversity point of view and the endangered species such as the Rufous necked hornbill have become extremely rare due to habitat shrinkage and poaching.

And Whereas, Some species have been recorded for the first time in Meghalaya, these include Great Crested Grebe, Black necked Grebe, Red necked Grebe, Indian Shag, Little green heron, Tiger of Malay Bittern, Greater adjutant stork and Black headed gull. Threatened and near-threatened species include the Darter, Darden's or Blyth's Baza, Painted Stork, lesser or Himalayan Grey-headed fish eagle, Black or king Vulture, Long-Billed vulture, white necked vulture, white legged Falconet, white cheeked Hill Partridge, Wood Snipe, Tawny Fish Owl, Blyth's Kingfisher, Rufous necked Hornbill, Spangled Drongo, Spotted winged Stare and Grey Sibia have also been recorded during the survey and some in the recent past.

And Whereas, other tree species which are its associates are Mesuaferea, Lagerstroemiaparvifora, Schimawallichii, Acrocarpusfraxinifolius, Alstoniascholaris, Bombaxceiba, Artocarpuschaplasha, Bischofiajavanica, Castanopsishistrix, C.indicaC.tribuloides, Cinnamommumtamala, Elaeocarpusfloribundus, Lanneacoromandelica, Garugapinnata, Anthocephaluscadamba, Tetramelesnudiflora, Toonaciliata, Syzygiumspp. Callicarpaarborea, Careyaarborea, Emblicaofficinalis, Gmelinaarborea, Gynocardiaodorata, Mallotusphilippensis, Sapiumspp, Alpiniamalaccensis, Hollarhenaantidisentrica, Amomumspp., Colocasiaesculenta, Costusspeciosus, Globbamultiflora, Oxaliscorniculata, Phragmiteskarka, Zinggiberzerumbet, Z.capitatum, Z.cassununen, Cyperusspp.etc.; the common large woody shrub sare Abromaaugusta, Allophylluscobbe, Antidesmaacuminatum, Aporosaboxburghii, Bochmeriaplatyphvlla, Casearia vareca, Clerodendrumbracteatum, Crotoncaudatus, Euryaacuminata, Glycosmismauritiana, Holmskoldiasanguinea, Iteamacrophvlla, Ixoraacuminata, Leeaasperaworthii, Maoutiapuya, Mussaendamacrephvlla, M.rexburghii, Pavettaindicaetc.;the common herbsareAchyranthesaspera, Amaranthusspinosus, Celossiaargentica, Cyathulaprostrata, Echinochloahirta, Comphostemmaparviflorum, Orthosiphenincurvus, Phyllanthusdebilis, Houttyniacordataetc.;the gregarious grasses are Arundineriabengalensis, A.nepalensis, Centeheccalappacea, Digitariascendens, Echinecleacruspavenis, Ichnanthusvicinus, Lapthatherumgracile, Oplismenuscompositus, Panicumbrevifelium.P.paludesum,P.flavidunand Lianas andclimbersare Buteaparviflora, Derriseliptica, Entadapurseatha, Millettiacinerea, M.pachycarpa; andthecommonshrub by twiners are Mucunamacrocarpa, As pidepteriselliptica, Bvttneriagrandifolia, Combretumpunctatum, Dalhduseabracteata, Iodeshaokeriana, Natsiatumherpeticumand Roydsiasuaveglens, and Uncariapilosa and U.sessilifructus are two weak climbers on large shrubs in the dense Forest;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of the Nongkhyllem Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

And Whereas, it lines become necessary to specify certain areas are around the Nongkhyllem Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone and to prohibit industries, operations or processes or class of industries, operations or processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 335.07 metres to 8.43 kilometres from the boundary of the Nongkhyllem Wildlife Sanctuary in the State of Meghalaya as the Nongkhyllem Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundary of Eco-sensitive Zone.—(1)The extent of Eco-sensitive Zone varies from 335.07 metres to 8.43 kilometres from the boundary of the Nongkhyllem Wildlife Sanctuary and the total area of the Eco- sensitive Zone is 202.87 square kilometre.

(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I**.

(3) The map of Eco-sensitive Zone, co-ordinates of Eco-sensitive Zone and Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure II**.

(4) The list of the villages falling within Eco-sensitive Zone along with coordinates of the prominent points is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture and Horticulture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism including eco-tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal and urban development;

(x) Panchayati Raj; and

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.—**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse.—(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the other purpose within the Eco-sensitive Zone, may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as.—

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies.—The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.—**(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.—All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.—Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.—Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.—Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.—Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.—Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016;

the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.—Bio medical waste management shall be as under:

(a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.—The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016,.

(12) Construction and Demolition Waste Management.—The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016,.

(13) E-waste.—The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.—Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and the efforts to be made for use of cleaner fuel such as CNG, LPG.

(16) Industrial Units.—(a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.—The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:

		(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any: (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures .	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
24.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.

25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
26.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
27.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
28.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(a) The Conservator of Forests (Territorialand Wild Life), Government of Meghalaya – Chairman;

(b) Chief Forest Officer, Khasi Hills Autonomous District Council - Member;

(c) A representative from the Revenue Department, Ri-Bhoi District Nongpoh -Member;

(d) A representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Meghalaya for a term of three years – Member;

(e) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Meghalaya for three years - Member; and

(f) Member, State Biodiversity Board-Member;

(g) Divisional Forest Officer, Khasi Hills Wildlife Division, Shillong - Member Secretary.

6. Terms of Reference.—(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/24/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G

Annexure I

Description of boundary of the Eco-sensitive Zone of Nongkhyllem Wildlife Sanctuary

EAST: The boundary starts from Umling Territorial Beat Office in the north east (25.964690 latitudes and 91.857807 longitudes) (point-2 in the map)and going clock wise, the area is bounded by the Shillong-Guwahati highway on the East approaching Shangbangla, Pahamrioh, Nongpoh, and Pahamsyiem. It goes along the community forest of Raid Nongpoh upto Umtas or community Forests (point-3 in a map at 25.811974 latitudes and 91.823244 longitudes) at about 19 kilometres.

SOUTH-The boundary continues from point-3 and runs clock wise along Nongmahir and Mawpyr hut, land of Nongbir Village, Nogsder village, Sohjirang village and private l and (point-4 in the map) at 25.820473 latitudes and 91.732014 longitudes, at a distance of about 13 kilometres.

WEST-The boundary continues from point-4 and goes through Ummar, Nongkynrih to Lailad-Tasku (Point-1 in the map.- 25.951830 latitudes and 91.758509 longitudes) at a distance of 15 kilometres (approximate)

NORTH–From Lailad Village (point-1 in the map.-25.951830 latitudes and 91.758509 longitudes), the boundary of the District Council tree plantation for ms the boundary up to Umladoh village. From here the Lailad Umling forest road forms the boundary up to Umling Territorial Beat office (at point 225.964690 latitudes and 91.857807 longitudes). Map showing the boundary and land use pattern of the proposed Eco-sensitive Zone enclosed.

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Nongkhyllem Wildlife Sanctuary, Meghalaya together with its latitudes and longitude of extremes and extent.

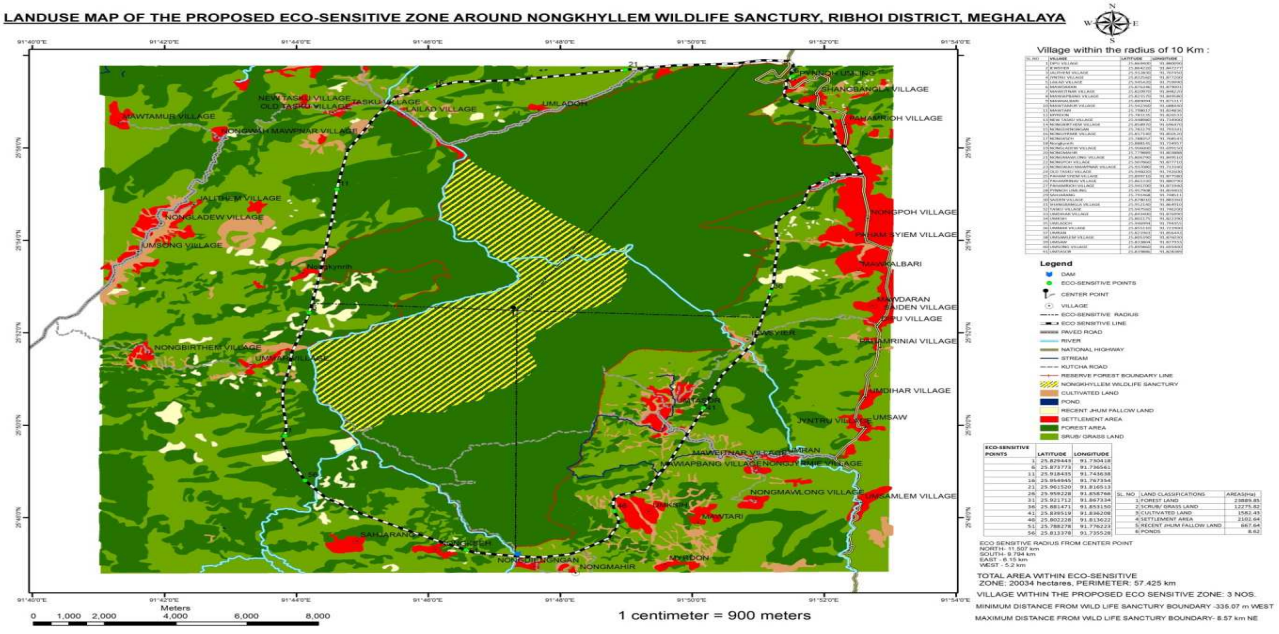

List of Co-ordinates

List of Co-ordinates of Nongkhyllem WLS

Sl. No.	Latitude	Longitude
1.	25^0 50’24.1”	91^0 44’32.0”
2.	25^0 52’26.3”	91^0 45’53.0”
3.	25^0 54’27.7”	91^0 46’10.7”
4.	25^0 55’56.3”	91^0 46’32.0”
5.	25^0 53’57.8”	91^0 49’08.8”
6.	25^0 52’23.0”	91^0 49’15.8”
7.	25^0 52’07.0”	91^0 49’57.7”
8.	25^0 50’46.8”	91^0 47’27.1”
9.	25^0 50’18.4”	91^0 45’24.5”
10.	25^0 50’28.0”	91^0 44’41.2”

List of Co-ordinates of the Proposed ESZ

Sl. No.	Latitude	Longitude
1.	25^0 49’45.9”	91^0 43’49.5”
2.	25^0 52’25.5”	91^0 44’11.6”
3.	25^0 55’06.3”	91^0 44’37.0”
4.	25^0 57’17.8”	91^0 46’02.4”
5.	25^0 57’41.4”	91^0 48’59.4”
6.	25^0 57’33.2”	91^0 51’31.5”
7.	25^0 55’18.1”	91^0 52’02.4”
8.	25^0 52’53.2”	91^0 51’11.3”
9.	25^0 50’22.2”	91^0 50’10.3”
10.	25^0 48’08.0”	91^0 48’49.0”
11.	25^0 47’17.8”	91^0 46’34.4”
12.	25^0 48’48.1”	91^0 44’07.9”

Annexure III

List of villages falling within the Eco-sensitive Zone of Nongkhyllem Wildlife Sanctuary, Meghalaya.

Sl. No.	Village Name	Latitude	Longitude
1.	NONGWAH MAWPNAR VILLAGE	25.937080	91.713340
2.	DIPU VILLAGE	25.869400	91.880090
3.	JALITHEM VILLAGE	25.912830	91.707450
4.	JYNTRU VILLAGE	25.832560	91.877200
5.	LAILAD VILLAGE	25.945420	91.759990
6.	MAWDARAN	25.876346	91.879001
7.	MAWEITNAR VILLAGE	25.820970	91.848220
8.	MAWIAPBANG VILLAGE	25.821570	91.849580
9.	MAWKALBARI	25.889094	91.875317
10.	MAWTAMUR VILLAGE	25.942360	91.688440
11.	MAWTARI	25.798017	91.834836
12.	MYRDON	25.783135	91.826533
13.	NEW TASKU VILLAGE	25.948980	91.734900
14.	NONGBIR	25.779889	91.803888
15.	NONGBIRTHEM VILLAGE	25.858970	91.696470
16.	NONGIYRMIF VILLAGE	25.817140	91.850120
17.	NONGLADEW VILLAGE	25.906000	91.699150
18.	NONGMAWLONG VILLAGE	25.806790	91.849510
19.	NONGPOH VILLAGE	25.907860	91.877710
20.	NONGSDER	25.779802	91.774080
21.	NONGKYNRIH	25.888145	91.734957
22.	OLD TASKU VILLAGE	25.946020	91.742600

23.	PAHAM SYIEM VILLAGE	25.899710	91.877580
24.	PAHAMRINIAI VILLAGE	25.861330	91.880790
25.	PAHAMRIOH VILLAGE	25.941700	91.871940
26.	SAIDEN VILLAGE	25.878010	91.883360
27.	SAJRANG	25.791468	91.748511
28.	SHANGBANGLA VILLAGE	25.952140	91.864910
29.	TASKU VILLAGE	25.947560	91.746200
30.	UMDIHAR VILLAGE	25.843400	91.876990
31.	UMLING VILLAGE	25.957908	91.859403
32.	UMMAR VILLAGE	25.855110	91.721900
33.	UMRAN	25.821963	91.856443
34.	UMSAMLEM VILLAGE	25.805390	91.876030
35.	UMSAW	25.833804	91.877933
36.	UMSONG VILLAGE	25.895860	91.693400
37.	UMTASOR	25.839886	91.828389
38.	UMLADOH	25.946994	91.794455

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.06.09 22:47:02 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.